न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 28 / 2020

उनवान

महीपालसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपुत निवासी मेतवाला तहसील गढी जिला बांसवाडा।

–: प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार, तहसील गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

–: अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 05.01.2021

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भुमि खाता संख्या 347 पुराना 291, 346 पुराना 290, 293 पुराना 247 वाके गांव मेतवाला तहसील गढी जिला बांसवाडा मे (राज.) मे स्थित है। प्रार्थी का नाम महीपालसिंह है लेकिन पिता की मृत्यु पश्चात् हुए नाम दर्ज मे राजस्व कर्मचारियों ने सेवन से महेन्द्रसिंह दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी का नाम महेन्द्रसिंह कभी भी नही रहा लेकिन राजस्व कर्मीयो ने सत्यापन किये बिना नाम दर्ज कर लिया। प्रार्थी का मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मुल निवास इत्यादी सभी महीपालसिंह नाम से ही बने हुए है लेकिन राजस्व रेकार्ड में नाम महेन्द्रसिंह होने से वादी को उसकी भुमि पर प्राप्त होने वाले सरकारी लाभ, परिलाभ प्राप्त नही हो रहे है न ही उसे कृषि ऋण इत्यादी प्राप्त हो रहा है जिस वजह से प्रार्थी को अपनी भुमि मे कृषि करने, भुमि को विकसित करने में कठिनाईया उत्पन्न हो रही है। प्रार्थी को अपने नाम की उक्त लिपिकिय त्रुटी को दुरस्त करने कई बार निवदेन किया परन्तु किसी राजस्व कर्मचारी ने उस पर ध्यान नही दिया व प्रार्थी को इंकार कर दिया। प्रार्थी की भुमि के राजस्व रिकार्ड की त्रुटी को दुरस्त कर रेकार्ड मे शुद्धी किया जाना आवश्यक है। करीब 15 रोज पुर्व भी प्रार्थी ने अप्रार्थी से राजस्व रेकार्ड मे अपने नाम की हुई त्रुटी को दुरस्त करने निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी से इंकार कर दिया जिस वजह से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी के नाम सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि ग्राम मेंतवाला की खाता संख्या 347, 346, 293 में प्रार्थी का नाम महेन्द्र सिंह पिता गुलाब सिंह दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान–पत्र, मूल निवास प्रमाण–पत्र, भामाशाह कार्ड, विद्युत बिल, राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम महिपाल सिंह पिता गुलाब सिंह दर्ज रिकार्ड होना अवगत कराया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, जमाबन्दी संवत 2074, निर्वाचन पहचान–पत्र, परिवार राशन कार्ड, विद्युत बिल, आधार कार्ड आदि की छाया प्रतियों एंव भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन कर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि पटवार हल्का मेंतवाला के मौजा मेंतवाला की जमाबन्दी संवत 2075–2078 की खाता संख्या 294 (नई) 247 (पुरानी), 347 (नई) 290 (पुरानी), 348 (नई) 291 (पुरानी) में दर्ज महेन्द्र सिंह पिता गुलाब सिंह के स्थान पर महिपाल सिंह पिता गुल[illegible] किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कि[illegible] पटवार हल्का मेंतवाला के मौजा मेंतवाला तहसील गढ़ी की जमाबन्दी संवत 2075–2078 [illegible] संख्या 294 (नई) 247 (पुरानी), 347 (नई) 290 (पुरानी), 348 (नई) 291 (पुरानी) [illegible] दर्ज महेन्द्र सिंह पिता गु[illegible] सिंह के स्थान पर महिपाल सिंह पिता गुलाब सिंह बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.03.12 14:53:49 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner